



सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-11 (क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद-द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के अंदर** आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई.डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन

दि.मु.यो.-2021

विद्यमान प्रावधान

प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन

अध्याय 6: थोक व्यापारी

पैरा 6.4.1.1

v. स्टैंड अलोन गोदामों के स्वामियों को 31.12.2020 तक योजनाओं को अनुमोदित करवाना होगा। गैर अनुरूप क्षेत्रों में आने वाले प्लॉटों के स्वामियों और 30.0 मी. से कम मार्गाधिकार पर स्थित मौजूदा गोदामों को 31.12.2020 तक अन्य अनुरूप क्षेत्रों/गोदाम समूहों में स्थानांतरित करना होगा। गैर अनुरूप क्षेत्रों में चल रहे ऐसे गोदामों को उपरोक्त समयावधि के अंदर बंद करना होगा।

v. स्टैंड अलोन गोदामों के स्वामियों को **31.12.2023** तक योजनाओं को अनुमोदित करवाना होगा। गैर अनुरूप क्षेत्रों में आने वाले प्लॉटों के स्वामियों और 30.0 मी. से कम मार्गाधिकार पर स्थित मौजूदा गोदामों को **31.12.2023** तक अन्य अनुरूप क्षेत्रों/गोदाम समूहों में स्थानांतरित करना होगा। गैर अनुरूप क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे गोदामों को उपरोक्त समयावधि के अंदर बंद करना होगा।

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक (योजना) कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दि.वि.प्रा., छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात <http://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

फाइल सं.: एफ.3(84)/2010-एमपी

दिनांक: 09.04.2021

स्थान: नई दिल्ली

हस्ता./-

(डी. सरकार)

आयुक्त एवं सचिव,

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें और डायल करें टोल फ्री नं. 1800110332